| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>धर्मसिंह बनाम सरकार वगै० |
|---|---|
| 29/8/25 | पत्रावली पेश हुई। अधि० उभयपक्ष उपस्थित प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर है। शा० नि० है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br>(हस्ताक्षर)<br>उपखण्ड आबकारी<br>उच्चैन (भरतपुर) |

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
वाद पत्र कमांकः— 64 / 2024

1. धर्मसिंह
2. राजू पुत्रान छिद्दीराम
3. किरनदेई पत्नि छिद्दीराम
4. हटीला
5. सुक्कन पुत्रान पतरी समस्त जातियान जाटव निवासीयान दौलतगढ तह0 उच्चैन।

.....प्रार्थीगण

**बनाम**

1. हरभान
2. मंगतूराम पुत्रान कन्नेराम
3. किरनदेई पत्नि कन्नेराम समस्त जातियान जाटव निवासीयान दौलतगढ तहसील उच्चैन

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.ए.

उपस्थिति

1. श्री अशोक शर्मा एडवोकेट
2. श्री जयप्रकाश शर्मा एडवोकेट

**निर्णय** **दिनांकः—29.08.2025**

प्रार्थी / प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1006 / 0.05, 1007 / 0.06, 1008 / 0.05, 1009 / 0.06, 1010 / 0.06, 126 / 0.19, 454 / 0.28, 69 / 0.21, 71 / 0.63, 779 / 0.23है0 बाके ग्राम दौलतगढ तहसील उच्चैन में स्थित है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण ने काफी समय पूर्व उक्त आराजीयत के अपने हिस्से के अनुसार उक्त आराजीयत का सभी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ने मौके पर मनबट कर रखा है उक्त मनबट के अनुसार ही प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर काबिज है व काश्त करते चले आ रहे है। किसी को भी उक्त मनबट के अनुसार काश्त करने व उपयोग उपभोग करने में कोई आपत्ति नहीं रही है। किन्तु अप्रार्थीगण एक चतुर चालाक व्यक्ति है उनके मन में उक्त आराजीयत के प्रति बदयान्ती आ गई है इसलिए उक्त आराजीयत की अच्छी अच्छी आराजी व कीमती आराजी पर कब्जा कर अन्य व्यक्ति को विकय करना चाहते है तथा प्रार्थीगण को अपनी उक्त आराजीयत से बेदखल करना चाहते है। जबकि अप्रार्थीगण को उक्त आराजीयत पर कब्जा कर विकय करने व प्रार्थीगण को बेदखल करने का कोई कानूनी अधिकार किसी प्रकार नहीं है। दिनांक 13.10.2022 को अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

ौके पर आ गये एवं पूर्वजों के द्वारा काफी समय पूर्व किये गये मनबट को मानने से इन्कार कर दिया एवं समस्त आराजी को किसी अन्य व्यक्ति को रहन वय मुन्तकिल करने की धमकी दी। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा अपने अधिकारों की रक्षा के लिये यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया है। प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद रिकार्ड एवं मौके की अस्थाई निषेधज्ञा से पाबंद फरमाये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बाबजूद सूचना के उपस्थित नहीं आये इसलिये इनके विरूद्ध दिनांक 14.02.2023 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अप्रार्थी संख्या 3 ने जरिये अधिवक्ता जबाव पेश कर निवेदन किया है कि प्राथीगण के द्वारा गलत, झूठे एवं बनाबटी तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कि काबिल खारिजी है। उक्त आराजी में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सहखातेदार काश्तकार है जिसके कारण अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार उक्त विवादित आराजी में समान है इसलिए कानूनन सहखातेदार/अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त विवादित आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी की आराजी है जिसका मनवट के आधार पर मौके पर बंटवारा हो रहा है एवं सभी सहखातेदार मनवट के आधार पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। अप्रार्थीगण के मन में बदनीयती आ गई है जिसके कारण वह अच्छी जमीन को कब्जाना चाहते है एवं विवादित आराजी का बंटवारा नहीं करना चाहते है इसलिए अप्रार्थीगण को ताफैसला बाद मौके की यथास्थित बनाये रखने हेतु पाबंद किये जाने का निवेदन किया है।

अभिभाषक अप्रार्थी ने जबाव प्रार्थना पत्रों के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी के कुछ नम्बर आबादी के नजदीक आने के कारण कीमती हो गये है जिनको प्रार्थीगण हडपना चाहते है। विवादित आराजी के मनबट के सम्बन्ध को लिखा पढी नहीं की गई है। उक्त आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन कराया जाये एवं रिकार्डेड खातेदार को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा पाबंद किया जा सकता है।

मेरे द्वारा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया प्रार्थना पत्र, जबाव प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में प्रथमदृष्टया विषयवस्तु (प्राईमाफेसी केस) को समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी की आराजी है। प्रार्थीगण उक्त आराजी पर मनबट बंटबारे के आधार पर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा पाबंद करबाना चाह रहा है। चुंकि अप्रार्थीगण उक्त आराजी में सहखातेदार काश्तकार काबिज आराजी है जिनके विवादित आराजी में प्रार्थीगण के समान ही अधिकार निहित है। उक्त आराजी बाबत् अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा पाबंद किया जाना न्यायेचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार प्रकरण में मजबूत प्रथमदृष्या विषयवस्तु/विवाद कारण उत्पन्न होना प्रतीत नहीं होता है।

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

प्रकरण में अब प्रार्थी को होने वाली अपूरणीय क्षति को समझना आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पूर्व में हुये मनबट के सम्बन्ध में प्रार्थीगण के द्वारा कोई भी दस्ताबेज उक्त प्रकरण में पेश नहीं किया है जिसके की यह स्पष्ट हो सके की उक्त प्रकरण में यदि अस्थाई निषेधज्ञा जारी नहीं की गई तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। यदि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा पाबंद नहीं किया जाता है तो प्रार्थी के अधिकारों पर नकारात्मक एवं अपूर्णीय क्षति होना सम्भावित प्रतीत नहीं होता है इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होना प्रतीत नहीं होता है।

प्रकरण में अब सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में झुकाव रखने के बारे में समझना आवश्यक है। उक्त विवादित आराजी में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सहखातेदार काश्तकार काबिज आराजी है एवं सभी सहखातेरान के उक्त विवादित आराजी में समान अधिकार निहित है। रिकार्डेड खातेदार को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा पाबंद किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि यदि उक्त आराजी में अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा पाबंद किया जाता है तो प्रार्थीगण की तुलना में अप्रार्थीगण को होने वाली असुविधा अधिक प्रतीत होने के कारण सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का प्रकरण में मजबूत विवाद विषयवस्तु प्रकट नहीं होने, प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति प्रतीत नहीं होने तथा प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रार्थीगण की तुलना में अप्रार्थीगण को होने वाली असुविधा अधिक प्रतीत होने सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत नहीं होने के कारण उक्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

**अतः आदेश हैः—**

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 29.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर